

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

अधीन अधिकारी:-श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.

पत्र नम्बर:-137/2018 प्रार्थना पत्र

चन्द्रकला पत्नि शिवदयाल धाकड़, उम्र बालिग निवासी 2-जी-18 आर0सी0व्यास कॉलोनी,
डा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----प्रार्थीया

बनाम

मोहम्मद हुसैन पिता मोहम्मद ईस्माईल मुसलमान, उम्र बालिग निवासी जूनावास-भीलवाड़ा
मोहम्मद रफीक पिता मोहम्मद इस्माईल मुसलमान, उम्र बालिग निवासी जूनावास-भीलवाड़ा
मोहम्मद गौसमों पिता मोहम्मद इस्माईल मुसलमान, उम्र बालिग निवासी जूनावास-भीलवाड़ा
मोहम्मद फारूख पिता मोहम्मद इस्माईल मुसलमान, उम्र बालिग निवासी जूनावास-भीलवाड़ा
निसार मोहम्मद पिता मोहम्मद इस्माईल मुसलमान, उम्र बालिग निवासी जूनावास-भीलवाड़ा
मोहम्मद अयूब पिता मोहम्मद इस्माईल मुसलमान, उम्र बालिग निवासी जूनावास-भीलवाड़ा
मोहम्मद उमर पिता मोहम्मद इस्माईल मुसलमान, उम्र बालिग निवासी जूनावास-भीलवाड़ा
ना बानो पिता मोहम्मद इस्माईल मुसलमान, उम्र बालिग निवासी जूनावास-भीलवाड़ा
ति आशा बैन पत्नि पारसमल शाह, उम्र बालिग निवासी बाजीपुरा तहसील बालोड़ा जिला तापी
रात)

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-24.5.2019

वकील प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-
अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रूपाहेली
इल्का रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 2 रकबा 17 बिस्वा,
रकबा 1 बिस्वा, 7 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 8 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा कुल कित्ता 4 रकबा 6
बिस्वा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं।
खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा
वाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की
नकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर
किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 29.5.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर
सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 8 उपस्थित नहीं। विपक्षीगण
से 8 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के
दिनांक 19.6.2018 को एक तरफ कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। विपक्षी संख्या
सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 10 को कितनी
विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा
का आदेश दिनांक 25.3.2019 को पारित किया गया। विपक्षी संख्या 9 के सम्मन बाद तामिल
। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 9 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने
एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिनांक 22.5.2019 को पारित किया गया।

वकील प्रार्थीया ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीया की एक
सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया को अपने खाते व

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल के समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपाहेली पटवार हल्का रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2 रकबा 17 बिस्वा, 6/1 रकबा 1 बिस्वा, 7 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 8 रकबा 4 5 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू-अभिलेख निरीक्षक, दांथल को -रूपये (छः सौ पचास रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में गढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डीबी)

आई.ए.एस.

उपसर्गड अधिकारी

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 24.5.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपसर्गड अधिकारी

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

